प्रकरण सं० 17/19 (5) पंज

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज मांगू गुर्जर बनाम रेखा गुर्जर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण प्रकरण में एक तरफा सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। तथा निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की कलम सं० 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी किता - 8 रकबा 8.13 बीघा भूमी राजस्व रेकार्ड में लच्छू पिता भूरा जी गुर्जर के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। जमाबंदी स्टेट सेटलमेन्ट में राजस्व अधिकारी व कर्मचारीयों ने भूल व गलती से उक्त वादग्रस्त आराजियात को संवत 2066 से 2069 में गलती से विपक्षी सं० 1 के नाम पर जमाबंदी में दर्ज कर दी जबकि विपक्षी सं० 1 के हक में न तो कोई पंजीकृत दस्तावेज एवं न ही कोई सक्षम न्यायालय का आदेश। उक्त गलत इन्द्राज से विपक्षी सं० 1 को उक्त वादग्रस्त आराजियात में तन्हा कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होता है। उक्त वादग्रस्त आराजियात लछू जी के समय की है एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं० 1 की पैतृक आराजियात है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पदा में पुत्र पुत्रियों का समान हक हिस्सा [illegible] उक्त वादग्रस्त [illegible] की मृत्युपरान्त [illegible] एवं विपक्षी सं० 1 का समान हक हिस्सा अर्थात 1/4 - 1/4 हक निहित हो गया। इसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी सं० 1	

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	उक्त वादग्रस्त आराजियात पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त आज पर्यन्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम अंकित न होने से प्रार्थीगण के स्वत्वों अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रार्थीगण 1/4-1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं० 1 के साथ-साथ इन्द्राज दुरुस्ती से प्रार्थीगण का नाम अंकित कराया जाना आवश्यक है।
	उक्त वादग्रस्त आराजियात विपक्षी सं० 1 के नाम पर होने से उसकी नियत में फितूर आने से ही वादग्रस्त आराजियात को खुर्द-बुर्द, अंतरित व भारित करने पर विपक्षी सं० 1 आमादा है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। स्पष्टतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी [illegible] करने, अंतरित एवं भारित [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं अनेक मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

प्र०सं० 17/2021 पं०

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मांगू गुर्जर वि० रेखा गुर्जर वगैरा स्वीकार फरमाया जाकर तदपर्यन्त बाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि प्रा० पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित आराजियात को किसी भी माध्यम से खुदकुर्द, अंतरित व भारित नहीं करे। प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदाजी नहीं करे। विपक्षी सं० 2 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे न्यायालय की बिना अनुमति के राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नहीं करे एवं रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत पाया कि वादग्रस्त आराजियात श्री लच्छू पिता भूरा गुर्जर के नाम पर दर्ज थी जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं० 1 के पिता हैं विरासत से उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं० 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में समान हक हिस्सा 1/4-1/4 से दर्ज होनी चाहिये थी ... राजस्व रेकार्ड में विपक्षी ... पर दर्ज ... विपक्षी सं० 1 प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को खुर्दबुर्द, अंतरित व भारित कर सकता है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त	

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

आराजियात से बेदखल कर सकता
है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला
है, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है (प्रार्थीगण के पक्ष में है)
में है। विपक्षीगण को उक्त कब्जा
आराजियात से अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबंद नही किया तो प्रार्थीगण
के हक हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द
अंतरित करने से अपूरणीय क्षति
होगी। इस प्रकार प्रार्थीगण
के प्रार्थनापत्र में वर्णित तीनों बिन्दु
के प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण
का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य
ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र
स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र
की चरण सं० 2 में वर्णित वादग्रस्त
आराजी सं० 224 रकबा 2.17 बीघा, 232
रकबा 0.05 बीघा, 234 रकबा 0.10 बीघा,
235 रकबा 1.00 बीघा, 236 रकबा 1.05 बीघा
237 रकबा 0.06 बीघा, 353/45 रकबा
2.00 बीघा, 354/232 रकबा 0.10 बीघा
किता - 8 रकबा 8.13 बीघा भूमि वाके
ग्राम केशवपुरा प० ह० दीगोद तहसील
कोटा से तापैसला वाद अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर खुर्द-बुर्द,
अंतरित [illegible] नही करने
तथा प्रार्थीगण [illegible] नही करने
हेतु पाबंद [illegible] है।
किया जाता है। विपक्षी सं० 2 को भी
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया
जाता है कि न्यायालय की अनुमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
सहायक कलक्टर कोटा

प्र०सं० 17/17 ब-धम

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मांगू गुर्जर वि. रेखा गुर्जर के	
के बिना राजस्व आकार रव के परिवर्तन नहीं करे एवं रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। प्रभावी फैसला सुमार होवे। दर्ज नंबर से कम हो।	
निर्णय सुनाया गया।	
उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested